कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–2122/12–1, दिनांकः मसूरी, 26/11/2019।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
नई, टिहरी।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में मरोरा–बनाली–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से कुण्ड तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–8.125 किमी0) के निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय), देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/94/2019/एफ0सी0/1778, दिनांक 08–11–2019 एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1309/FP/UK/ROAD/21822/2016, दिनांक 18 नवम्बर 2019

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय), देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें सं0 1, 2, 3 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी के उक्त सन्दर्भित के द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल(है0 में)/पौध	दर	देय धनराशि
1.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले मौजा कुण्ड सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव।	10.283है0	3,06,531.00/है0	31,52,058.00
2.	एन0पी0वी0 (मसूरी वन प्रभाग)	4.0285 है0	6,57,000.00/है0	26,46,725.00
	योग :–			57,98,783.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1, 2 व 3 तथा अन्य शर्तों 4, 5 6 एंव 7 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों /अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2122 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सादर प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 1529 / 12–1(2) दिनांक 27/ 11 /2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–02
नई टिहरी।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कुण्ड 8.125 किमी0 तक निर्माण हेतु 5.1415 हे0 संख्या–**FP/UK/ROAD/21822/2016** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक–1309/**FP/UK/ROAD/21822/2016** दिनांक 18–11–2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/94/2019/एफ0सी0/1778 दिनांक 08–11–2019 में दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा मौजा कुण्ड़ की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 31,52,058.00 धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–क–972/3–5–2(II) दिनांक 21–11–2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2019–20 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण –

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	5.1415 X 2 =10.283 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0–	3,06,531.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–	10.283 X 3,06,531.00=**31,52,058.27** या **31,52,058.00**

1.1 शर्त संख्या–1.1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राजस्व विभाग/वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौके पर उपस्थित होकर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित मौजा कुण्ड की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 10.283 हे0 है को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित एवं नोटिफिकेशन कर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करवायी जायेगी। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रसारित की जायेगी।

2- शर्त संख्या–02 के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.113 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 09,40,485.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.50 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 8,45,000.00 (आठः लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	1.113 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	1.113 हे0 X 8,45,000.00 = 09,40,485.00